प्रेस विज्ञप्ति
03.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 1/07/2024 को राकेश कुमार गुलाटी (चार्टर्ड अकाउंटेंट), परमजीत और अजय यादव नामक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ने सभी 3 आरोपियों को 9/07/2024 तक 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों राकेश अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और 9 ऋणदाता बैंकों के संघ (कॉनसॉर्टियम) को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला है कि मेसर्स एसओएल ने अपने पूर्व प्रमोटरों/निदेशकों/प्रमुख व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य संबंधित/असंबंधित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके फर्जी व्यापार लेनदेन के जरिए और फर्जी देनदारों का निर्माण (क्रिएट) करके ऋण राशि को अवैध रूप से डायवर्ट किया है।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि जहाँ मेसर्स एसओएल के खिलाफ कुल स्वीकृत दावे रुपये 1274.14 करोड़ थे, वहीं इकाई को सीआईआरपी कार्यवाही के जरिए केवल रुपये 196 करोड़ में एक समाधान आवेदक (रिजॉल्यूशन एप्लिकेंट) मेसर्स उमैजा इंफ्राकॉन एलएलपी (अजय यादव की) द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, जो एक मुखौटा संस्था थी, जिसके पास अपना कोई फंड नहीं था। ईडी की जाँच में पता चला है कि उक्त मुखौटा संस्था के लिए फंड की व्यवस्था मेसर्स एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों और इसके सीए राकेश गुलाटी के निर्देश पर मेसर्स एसओएल से डायवर्ट किए गए फंड से की गई थी। एनसीएलटी के आदेश के तुरंत बाद, मेसर्स एसओएल को एक फर्जी सुविधा समझौते के जरिए एक फ्रंटल कंपनी मेसर्स शिवाकृति एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (एसएपीएल) ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसका वास्तव में मेसर्स एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रण और संचालन किया जाता था। फ्रंटल इकाई मेसर्स शिवाकृति एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को परमजीत और उसके अन्य पूर्व कर्मचारियों के माध्यम से मेसर्स एसओएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता रहा है। मेसर्स एसओएल और मेसर्स एसएपीएल एवं कई संबंधित संस्थाओं के कॉमन (सभी के) सीए राकेश गुलाटी एनसीएलटी से एक दिवालिया कंपनी का व्यवसाय और वास्तविक नियंत्रण वापस पाने के लिए ऋण राशि के उपरोक्त डायवर्जन और षड्यंत्र में शामिल पाए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।